न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 82/2022

उनवान

1. मांगू पुत्र श्री किशन जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1.प्रभूदयाल पुत्र हनुमान
2 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ
3 उमरावसिंह पुत्र मालीराम
4 गोपाललाल पुत्र मालीराम
5 बंशीलाल पुत्र मालीराम
6 भगवती पुत्री मालीराम
7 शांति देवी पुत्री मालराम
8 सुमित्रा पुत्री मालीराम
9 सिणगारी देवी पत्नि मालीराम
10 हरिसिंह पुत्र मालीराम
11 ग्यारसी देवी पत्नि मालीराम
12 शान्ति देवी पत्नि रामेश्वर
समस्त जाति जाट निवासीगण गोपालपुरा तहसील शाहपुरा
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 21/9/22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि नं. 1008/ रकबा 0.1500 है0, 1010 रकबा 0.80 है0, 1011/1 रकबा 0.34 है0, 1014रकबा 0.82 है0, 15 रकबा 0.12 है0, 1029 रकबा 1.16 है0, 1030/1080 ाकबस 0.0500 है0, 1031/ 1081 रकबा 0. 0 है0, 1038/1082 रकबा 0.0300 है0, 1042/1083 रकबा 0.0200 है0, व 1049/1108 रकबा 0.0500 कुल किता 11 रकबा 3.5800 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि त है जिसका उप तहसीलदार अमरसर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/ 22/ 1838, दिनांक 24.6.2022 की ना में दिनांक 24.6.2022 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 24.6.2022 के बाद से पी अप्रार्थीगण ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है से आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु ना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । ल प्रार्थी ने अपनी एक पक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है ती काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए ना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण या गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 24.6.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी ाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना र अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा 5 से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को शित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि कि ख.नं. 1008/ रकबा 0.1500 है0, 1010 बा 0.80 है0, 1011/1 रकबा 0.34 है0, 1014रकबा 0.82 है0, 1015 रकबा 0.12 है0, 1029 रकबा 1.16 1030/1080 ाकबस 0.0500 है0, 1031/ 1081 रकबा 0.0400 है0, 1038/1082 रकबा 0.0300 है0, 2/1083 रकबा 0.0200 है0, व 1049/1108 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 11 रकबा 3.5800 है0 वाके गोपालपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक ाज्ञान दिनांक 24.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/9/22 को सरे इजलास सुनाया गया ।